

प्रारूप "ख"

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (हनुमानगढ़)

39

क्रमांक -

दिनांक -

संपरिवर्तन आदेश

श्री श्याम सेवा समिति जरिये मंत्री, सुरेन्द्र पुत्र श्री अमरनाथ जाति ब्राह्मण सा. भादरा के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिवृद्धि में धारित भूमि का राजस्थान (ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 9 के अधीन राजस्व सरकार के राजस्व विभाग के संशोधित आदेश सं. राजस्व/गुप-6/नोटिफिकेशन दिनांक 16-01-2012 प्रयोजन के लिए इसके द्वारा किया जाता है कि जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है -

1. आवेदक खातेदार अभिघासीका का नाम पिता पति के नाम सहित पूरा पता - श्री श्याम सेवा समिति जरिये मंत्री, सुरेन्द्र पुत्र श्री अमरनाथ जाति ब्राह्मण सा. भादरा
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है- (नहीं)
3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :-
(क) ग्राम पंचायत तहसील का नाम - करनपुरा ग्राम पंचायत करनपुरा तहसील भादरा
(ख) भूमि का खसरा संख्या प्रत्येक कुल क्षेत्रफल-(हेक्टर में) रोही मौजा चक 7 वी.एच.डी. के खाता सं. 134/120 मु.0 नं.0 13 के किला नं. 3/1 की 0.0488 हेक्टर किला नं.0, 3/2 की 0.0507 हेक्टर व चक 7 वी.एच.डी. के खाता सं. 133/144 मु.0 नं.0 12 के किला नं.0 1/1 की 0.125 हेक्टर कुल 0.2245 हेक्टर (2245 वर्ग मीटर)
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्र हेक्टर या वर्ग मीटर में- रोही मौजा चक 7 वी.एच.डी. के खाता सं. 134/120 मु.0 नं.0 13 के किला नं. 3/1 की 0.0488 हेक्टर किला नं.0, 3/2 की 0.0507 हेक्टर व चक 7 वी.एच.डी. के खाता सं. 133/144 मु.0 नं.0 12 के किला नं.0 1/1 की 0.125 हेक्टर कुल 0.2245 हेक्टर (2245 वर्ग मीटर)

टिप्पणी :- शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति सलग्न है - (हैं)

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन - शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5. संदाय की प्रीमियम की दर - पूर्व में आवासीय प्रयोजना हेतु चालान संख्या 14 दिनांक 22-05-2008 देय है। तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट क्रमांक TRA/13/1425 दिनांक 02-04-2013 के मुताबिक अन्य कोई शास्ति देय नहीं है।
6. यदि कोई शास्ती जमा करवाई गई है तो उसके चालान की तारीख - (नहीं)
7. यदि कोई व्याज की राशि जमा करवाई गई तो उसके चालान की सं. व तारीख - (नहीं)
8. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया - (नहीं)
9. अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो - (नहीं)
10. उपयुक्त संपरिवर्तन ओदश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा -

- 1- उपर्युक्त शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 2- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर दी जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूत हो जायेगा।
- 3- लाकोपयोग प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
4. इण्डियन रोड कॉर्पोरेशन के नियमानुसार सड़क के मध्य से दूरी छोड़कर निर्माण कार्य करें।



विहित प्राधिकारी की मोहर (हनुमानगढ़)

क्रमांक - 2013/2013/375
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, हनुमानगढ़
2. तहसीलदार राजस्व, भादरा
3. सरपंच ग्राम पंचायत करनपुरा
4. पटवारी हल्का सिकरोड़ी
5. श्री श्याम सेवा समिति
जरिये मंत्री, सुरेन्द्र पुत्र श्री अमरनाथ सा. जाति ब्राह्मण
भादरा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
राजस्व भादरा
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
दिनांक - 14/6/2013

मंत्री

श्री श्याम महिला शिक्षा संस्थान
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
मंत्री

40

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : BHADRA

Fee Receipt Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-01-2022 4:58 PM

Fee Receipt No	: 202202418000399	Receipt Date	: 13/01/2022
Name	: VIRENDRA KOUSHIK SACHIV SHRI SHYAM SEWA SAMITI BHADRA,	Document S No.	: 202201418000399
Address	: NA ,NA ,BHADRA ,HANUMANGARH		
Document Type	: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 under 90A		
Face Value	: ₹ 1077450	Evaluated Value	: ₹ 7464090
Ord-Registration Fee	: ₹ 10775	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 19395	Stamp Duty	: ₹ 64647
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us 25 34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 95117
		Other than Cash	: ₹ 95117
		Total Amount	: ₹ 95117


Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
a-Gras Challan 57667879 ₹ 86667 # Stamp N.A. ₹ 8450

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

प्रधान
राजकीय महाविद्यालय
भादरा (हनुमानगढ़)

Signature of recipient
and date of return receipt



SUB-REGISTRAR

श्री श्याम महिला शिक्षा संस्थान
भादरा जिला हनुमानगढ़

श्री श्याम महिला शिक्षा संस्थान
भादरा (हनुमानगढ़)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

D 259098

जयराज RAJASTHAN
20 DEC 2017

राजस्थान
दिसा (हनुमानगढ़)

कार्यालय नगरपालिका भादरा जिला हनुमानगढ़

लीज डीड

श्री श्याम शैवा समिति भादरा जरिये सचिव श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अगरनाथ जाति ब्राह्मण

दिवासी कस्बां भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा चक 07 बीएचडी के मुरब्बा नं. 13 भादरा में

भूखण्ड का साईज $330 \times 165 = 54450$ वर्गफुट का शैक्षणिक कृषि भूमि रूपान्तरण शुल्क 253000 रुपये.

हस्तान्तरण शुल्क 90750 रुपये, विकास शुल्क 455400 रुपये एवं लीज राशि 25300 रुपये वार्षिक एवं 10

वर्ष की अग्रिम एक मुश्क 253000 रुपये कुल योग 1077450 रुपये रसीद संख्या 236/19 दिनांक 23 12

2021 को नगरपालिका कोष में जमा हो चुकी हैं। पंजीयन के लिए कुल मालयति 1077450 रुपये पर

मुद्रांक शुल्क 6500 रुपये के स्टाम्प नं 03 शामिल किए गए।

विरह

मंत्री

श्री इत्यादि

श्री श्याम शैवा समिति
भादरा (हनुमानगढ़)

अधिसापी अधिकारी
नगरपालिका, भादरा

विरह

मंत्री

श्री श्याम महिला शिक्षा संस्थान
भादरा जिला हनुमानगढ़



विरह

श्री श्याम महिला शिक्षा संस्थान
भादरा (हनुमानगढ़)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

भारत



सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

L 489369

स्टाम्प तकमीलन शामिल हैं।

अधिकांश अधिकारी
मुम्बईपालिका, भादरा

श्री श्याम सेखा समिति
भादरा (हनुमानगढ़)

उत्तम इन्साइड

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय
भादरा (हनुमानगढ़)

श्री श्याम महिला शिक्षा संस्थान
भादरा जिला हनुमानगढ़



श्री श्याम
मंत्री

श्री श्याम महिला शिक्षा संस्थान
भादरा जिला हनुमानगढ़



नगरपालिका भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड)

संस्थागत

(स्थानीय निकाय की योजनाओं में राजस्थान नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत पट्टा विलेख)

क्रमांक : 213

दिनांक 23.12.2021

पट्टा धारक का नाम - श्री श्याम सेवा समिति जरिये सचिव श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अमरनाथ जाति

ब्राह्मण निकाय के खाते क्रमांक भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
भूखण्ड संख्या - प्लॉट - 330X165=54450 वर्गफुट

योजना - चक 07 बीएचडी

★ शहर 2021 ★

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा

दिनांक : 23.12.2021 को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.
मंत्री
2. श्री श्याम सेवा समिति
भादरा (हनुमानगढ़)

अधिसाक्षी अधिकारी
नगरपालिका, भादरा

राजकीय महाविद्यालय
भादरा (हनुमानगढ़)

ⓑ 24-12-21
अध्यक्ष

नगरपालिका भादरा


मंत्री
श्री श्याम महिला शिक्षा संस्थान
भादरा जिला हनुमानगढ़

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



श्री श्याम महिला शिक्षा संस्थान
भादरा (हनुमानगढ़)

61



स्थान
शिक्षण संस्थान
₹ 500/-

स्टाम्प तकमीलन शामिल हैं।



अधिसूची अधिकारी
श्री श्याम महिला शिक्षण संस्थान

वीरेंद्र
मंत्री
श्री श्याम सेवा समिति
भादरा (हनुमानगढ़)



गवाह : 1 - दीपक कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जाति खाती
निवासी उतरदाबास तह. भादरा

गवाह : 2 - महेंद्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति राजपूत
निवासी वार्ड नं. 20, भादरा तह. भादरा



प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
भादरा (हनुमानगढ़)

वीरेंद्र
मंत्री
श्री श्याम महिला शिक्षण संस्थान
भादरा जिला हनुमानगढ़

उप-पजीयक
भादरा
मंत्री
श्री श्याम महिला शिक्षण संस्थान
भादरा (हनुमानगढ़)

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड) (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 पट्टे की शर्तें)

पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी है अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज पर मुक्त है। अथवा

पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि प्रति वर्ष से आवश्यक रूप से जमा करवानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जायेगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में संबंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे। पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब लीज) पर भी दे सकेगा।

उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।

पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।

भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।

पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।


पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।

पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है। तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।

अन्य


नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नम्बर 08 लागू नहीं होगी।



स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण :-

पूर्व पश्चिम 165
उत्तर 330 दक्षिण 330



पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. श्री श्याम महिला शिक्षा संस्थान
2. भादरा (हनुमानगढ़)

अंगूठा निशान

अंगूठा निशान

अंगूठा निशान

साक्षी :-
हस्ताक्षर
नाम

अधिसाक्षी अधिकारी
नगरपालिका, भादरा



उप-पंजीकृत
भादरा

पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।

Registered and Endorsement Attached श्री श्याम महिला शिक्षा संस्थान
भादरा जिला हनुमानगढ़

नगरपालिका भादरा, जिला हनुमानगढ (राज.)



46

साईट प्लान - शैक्षणिक उपयोग

योजना/गैर योजना राजस्व ग्राम/चक - 07 बीएचडी आराजी/मुरब्बा नं 13 वं किला नं 37 व 08
भूखण्ड संख्या- भूखण्ड का आकार - 330X165=54450 वर्गफुट

पट्टा धारक का नाम - श्री श्याम सेवा समिति जरिये सचिव श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अनन्त जति ब्राह्मण

निवासी- कस्बां भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)



श्री श्याम सेवा समिति

ब्रण्ड का कुल क्षेत्रफल 54450 वर्गफुट

नोट - भूखण्ड पर भवन निर्माण, निर्धारित अवधि में प्रचलित भवन विनियमों के अनुरूप किया जावे।

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका, भादरा

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
भादरा (हनुमानगढ)

अधिसापी अधिकारी
नगरपालिका, भादरा

(B)
अध्यक्ष -
नगर पालिका, भादरा

मंत्री
श्री श्याम सेवा समिति
भादरा (हनुमानगढ)

मंत्री
श्री श्याम महिला शिक्षा संस्थान

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



उप-

भादरा

श्री श्याम महिला शिक्षा संस्थान